

(पंजीकृत डाक)

AAI/RP/Engg.-C/AGM/CW-09/2020/2278-89

Date - 10.08.2020

सेवा में,

मेसर्स गुप्ता कंस्ट्रक्शन्स,
हटरी पारा, संतोषी माता चौक,
कबीरधाम, कवर्धा (छ.ग.) - 491995

To,

M/s Gupta Constructions.
Hatri Para, Santoshi Mata Chowk,
Kabirdham, Kawardha (C.G.) - 491995

विषय :- एस.वी. हवाई अड्डा, रायपुर में नई तकनीकी ब्लॉक सह नियंत्रण टॉवर में पानी की आपूर्ति के लिए जी.आई. पाइप लाइन का प्रावधान।

Sub:- Provision of G.I. pipe line for water supply in New Technical Block cum Control Tower at S.V. Airport, Raipur.
Tender ID:- 2020_AAI_50258_1

संदर्भ :- आपकी ई-निविदा जो दिनांक 10.07.2020 को खोली गयी।

Ref:- Your E-tender opened on 10.07.2020

महोदय/Sir,

1. उपरोक्त कार्य के लिए आपकी मदद दर निविदा आपके द्वारा उद्धृत राशि रु. 33,54,810.00/- (रुपये तैतीस लाख चौवन हजार आठ सौ दस मात्र) (जी.एस.टी. छोड़कर) जो कि अनुमानित लागत रु. 49,74,900/- (रुपये उनन्चास लाख चौहत्तर हजार नौ सौ मात्र) (जी.एस.टी. छोड़कर) से 32.57% कम है, को अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से स्वीकार किया जाता है।

Your e-tender for the work mentioned above is hereby accepted on behalf of Chairman, Airports Authority of India, at the item rates quoted by you totaling to Rs 33,54,810.00 (Rupees Thirty Three Lakhs Fifty Four Thousand Eight Hundred Ten Only) (Excluding GST) which is 32.57% below the estimated cost put to tender of Rs. 49,74,900/- (Rupees Forty Nine Lakhs Seventy Four Thousand Nine Hundred Only) (Excluding GST).

2. आपसे अनुरोध है कि कृपया दिनांक 04.09.2020 तक स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, रायपुर पर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उपस्थित रहकर संविदा करार पर हस्ताक्षर करने तथा करार की कार्यवाही पूर्ण करने का कष्ट करें। यह संविदा करार 100/- रुपये (सौ रुपये मात्र) के गैर-न्यायिक स्टैम्प पेपर पर निष्पादित किया जायेगा, जिसका खर्च आपके द्वारा वहन किया जायेगा।

You are requested to attend the office of the undersigned at Swami Vivekananda Airport, Raipur by 04.09.2020 to sign and complete the contract agreement. The contract agreement shall be executed on a non-judicial stamp paper of value Rs. 100/- (Rupees One Hundred only) and the cost of the stamp paper shall be borne by you.

3. संविदा करार के पेज नंबर 16 पर धारा नं. 1A के अनुसार आपके निविदा के साथ प्राप्त धरोहर राशि रुपये 99,498/- (रुपये निन्यानवे हजार चार सौ अठानवे मात्र) को जमानत जमा के एक हिस्से के रूप में जमा माना जायेगा। कृपया इस कार्यदिश के जारी होने के तिथि से 10 दिनों के भीतर जमानत जमा के शेष रुपये 2,35,983/- (रुपये दो लाख पैंतीस हजार नौसो तेरासी मात्र) इस कार्यालय में जमा कराये अन्यथा यह कांटेक्ट डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 16 पर धारा नं 1A के अनुसार काटा जायेगा।

The Earnest Money amount of Rs. 99,498/- (Rupees Ninety Nine Thousand Four Hundred Ninety Eight Only) received along with your tender will be treated and converted as part of security deposit as per Clause no. 1A on Page 16 of contract document. Please deposit Rs. 2,35,983/- (Rupees Two Lakhs Thirty Five Thousand Nine Hundred Eighty Three only) towards security deposit within 10 days from the date of issue of this letter failing which, the same will be deducted as per condition of Clause no. 1A at Page 16 of contract document.

4. आपसे अनुरोध है कि संविदा करार के पेज नंबर 50 पर धारा नं. 19 के अनुसार आप ठेका श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 के उपबंधों का अनुपालन करें, साथ ही ठेका श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) केन्द्रीय नियमावली 1971, बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986, निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा की हालत का विनियमन) अधिनियम 1996, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम 1996 तथा केंद्र और राज्य सरकारों के अधिनियमों के प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन करेंगे।

You are requested to comply with the provision of Contract Labour (Regulation and Abolition) Act 1970 and Contract Labour (Regulation and Abolition) Central rules 1971, Child Labour (Prohibition & Regulation) Act 1986, Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Service) Act 1996, Building and other construction Workers Welfare Cess Act 1996 as specified in Clause no. 19 on Page no. 50 of GCC of tender and rules of Central and State Governments.

5. आपसे यह भी अनुरोध है कि आप कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 और ईएसआई अधिनियम, 1948 (सभी संशोधनों सहित) एवं उस के अंतर्गत बनाये गये सभी नियमों एवं प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन करेंगे तथा क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त द्वारा आबंटित पीएफ खाता कोड संख्या एवं ई.एस.आई. कॉर्पोरेशन द्वारा आबंटित ई.एस.आई. रजिस्ट्रेशन नंबर भी इस कार्यालय में जमा करायेंगे तथा पीएफ खाता कोड और ईएसआई पंजीकरण काम के वास्तविक समापन तक वैध रहे।

You are also requested to comply with all the provision of the employees Provident Fund & Misc. Provision Act, 1952 and ESI Act, 1948 amended from time to time and rules framed there under and furnish the PF account code number allotted by Regional PF Commissioner and ESI Registration number allotted by ESI Corporation and continue to have valid PF account code and ESI registration number till actual completion of the work.

6. आपसे यह भी अनुरोध है कि आप प्रबंधक (इंजी.-सि.)-II, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, रायपुर से अविलम्ब संपर्क करें जो कि आपको साइट हस्तांतरित करने की व्यवस्था करेंगे।

You are also directed to contact Manager (Engg. - Civil)-II immediately who will arrange to hand over the site to you.

7. कृपया ध्यान दें कि काम करने के लिए अनुमति देने का समय 04 (चार) महीने होगा और इस पत्र के जारी होने के बाद दसवे दिन से माना जायेगा।

Please note that the time allowed for carrying out the work shall be 04 (Four) months and same shall be reckoned from the 10th day after issue of this letter.

8. आगे से इस अनुबंध के संबंध में किसी भी प्रकार के पत्राचार को अधोहस्ताक्षरकर्ता को संबोधित किया जाना चाहिए।

Any further correspondence in connection with the contract should normally be addressed to the Engineer-in-charge.

9. कृपया इस पत्र की प्राप्ति-सूचना और स्वीकृति के प्रतीक रूप में इस पत्र की दूसरी प्रति हस्ताक्षर करने के बाद अधोहस्ताक्षरकर्ता को वापस भेज दें।

Please acknowledge the receipt and return the duplicate copy of this letter after signing it to the undersigned as a token of acceptance.

संलग्न :- अनुसूची – अ

भवदीय,

र.शि.पाटील
10/08/2020

(रविंद्र एस पाटील)

सहा. महाप्रबंधक (अभि.-सि.)-I

भा.वि.प्रा., एस.व्ही. हवाई अड्डा, रायपुर